

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 10.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 01 व थाना तरबगंज पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.09.2023

गौवध निवारण अधि० का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं०-277/23 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 18.08.2023 को थाना धानेपुर पुलिस ने 05 अदद गोवंश से लदी एक पिकअप को बरामद कर अभियुक्त निबरे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें उक्त अभियुक्त वांछित चल रहा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजू यादव पुत्र शंकर उर्फ रमाशंकर यादव नि० दो माठ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं० 277/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना धानेपुर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व०उ०नि० अजय कुमार तिवारी मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.09.2023

नाजायज गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा व 3253 रू० बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सलमान पुत्र मुख्तार अहमद नि० इमामबाड़ा काशीराम कालोनी थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—800/23, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा
02. रू० 3253/—

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० अभिषेक पाण्डेय मय टीम।